

// न्यायालय: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बड़वानी जिला
बड़वानी (म.प्र.) //

पीठासीन अधिकारी:- मनोज कुमार गोयल

नियमित व्यवहार वाद 'अ' क्रमांक :-RCS A 1400028/2016

संस्थित दिनांक : 25.07.2016

1. पवनकुमार पिता मुकुन्दसा गुप्ता,

व्यवसाय- व्यापार, निवासी- महालक्ष्मी मंदिर के सामने,

रानीपुरा, बड़वानी, आदि ।

आवेदक

विरुद्ध

1. राजू पिता पूनमचंद, आयु-47 वर्ष,

निवासी- ग्राम मोहीपुरा, तहसील अंजड

जिला बड़वानी, आदि ।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 27.03.2017 को पारित किया गया)

1. इस आदेश द्वारा आई.ए.नंबर 3 अंतर्गत आदेश 14, नियम 2, धारा 151 तथा आई.ए.नंबर 4 अंतर्गत आदेश 14 नियम 2, सी.पी.सी. का निराकरण किया जा रहा है ।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नंबर. 3 संक्षेप में इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत वादोत्तर के आधार पर परिसीमा अवधि तथा आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण की प्रचलनशीलता संबंधित वादप्रश्न विरचित किये गये हैं जो कि प्राथमिक वाद विषय हैं जिन पर प्रारंभिक रूप से सुनवाई कर उनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, तथा उक्त दोनों वाद प्रश्नों के संबंध में साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है, तथा दोनों ही वाद प्रश्न विधि संबंधी प्रश्न अतः उक्त दोनों वाद प्रश्न

क्रमांक 4 तथा वाद प्रश्न क्रमांक 6 को प्राथमिक रूप से सुने जाकर निराकरण किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसके द्वारा पूर्व में माननीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग-1 बड़वानी के समक्ष दीवानी प्रकरण क्रमांक 8ए/91 दर्ज हुआ होकर निराकरण दिनांक 08.02.2002 को हुआ था जिससे असंतुष्ट होकर उसके द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 5ए/2000 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 26.09.2009 को हुआ था तथा इस निर्णय से असंतुष्ट होकर उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई थी, जो कि विचाराधीन है। वादीगण द्वारा पुनः उसी संपत्ति को लेकर यह वाद प्रस्तुत किया गया है, कि जो कि रेसजुडिकेटा की बाधा होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न विरचित किया गया है, जिसे कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रारंभिक रूप से निराकरण करने का निवेदन किया है।

3. वादीगण द्वारा उक्त आवेदनों का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए उक्त आवेदनों के सभी तथ्यों को अस्वीकार किया है तथा व्यक्त किया है, कि आई.ए.नम्बर 3 में दर्शित दोनो वाद विषयों के संबंध में दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाना आवश्यक है, तथा मात्र अभिलेख के आधार पर इनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। इसके साथ यह भी व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में बिना साक्ष्य के उक्त दोनो वाद विषयों का निराकरण विधि संबंधी प्रश्न होते हुए भी साक्ष्य के आधार पर भी किया जा सकता है। इसी प्रकार आई.ए.नं.4 के संबंध में वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि दीवानी प्रकरण क्रमांक 8ए/91 के अभिवचन एवं उक्त प्रकरण के वादी द्वारा चाही गई सहायता सदर वाद से भिन्न है, तथा दोनों प्रकरणों के वाद कारण तथा अभिवचन एवं सहायता भिन्न-भिन्न है, जो कि एक स्वरूप के नहीं है, अतः प्रस्तुत वाद में रेसजुडिकेटा की बाधा नहीं आती है, तथा यह भी

व्यक्त किया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त संबंधी जो वाद विषय निर्मित किया है, उसका निराकरण दोनों पक्षों की विधिवत साक्ष्य उपरांत ही किया जा सकता है, अतः उक्त के आलोक में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर प्रस्तुत आवेदनों को निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

4. उक्त आवेदनों के संबंध में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

(क) क्या वादपत्र के परिसीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत होने संबंधी, आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के प्रावधानों के कारण उक्त वाद प्रचलनशील होने संबंधी तथा उक्त वाद में रेसजुडिकेटा के सिद्धान्त के कारण उक्त वाद में विरचित उक्त तीनों वाद विषयों का प्रारंभिक वाद विषयों के रूप में निराकरण किया जा सकता है।

5. विचारणीय प्रश्न क्रमांक(क) सकारण निष्कर्ष:-

प्रकरण में उक्त आवेदनों के संबंध में उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए तथा उसके आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन तथा आदेश 14 तथा नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश 14 नियम 2 मुख्य रूप से प्रारंभिक वाद पद से संबंधित है। प्रकरण में प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए. नं. 3 के संबंध में तर्क प्रस्तुत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. का न्यायदृष्टांत अर्चना साड़ी जिला अशोक नगर वि. म.प्र.हस्ताकार तथा हस्तकरघा विकास कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल तथा अन्य 2010 (2) एम.पी.एल.जे. 88 प्रस्तुत किया गया है, जिसके पैरा 9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा उसकी क्षेत्रीय अधिकारीता संबंधी वादप्रश्न क्रं. 5 बनाया गया था किंतु उसे प्रारंभिक रूप से निराकृत न करते हुए गुण दोष पर निर्णय करते समय उक्त वाद प्रश्न के संबंध में यह निष्कर्ष दिया

था कि विचारण न्यायालय के पास वाद को सुनने की क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है। परंतु सदर प्रस्तुत वाद में इस न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में न तो वादप्रश्न विरचित किया गया है तथा न ही इस संबंध में पक्षकारों द्वारा कोई आक्षेप या आपत्ति की गई है। अतः उक्त प्रस्तुत न्यायदृष्टांत के तथ्य सदर वाद से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायदृष्टांत किसी भी प्रकार से प्रतिवादी कं. 1 के लिए उपयोगी न होने से सदर वाद पर लागू नहीं होता है।

6. प्रतिवादी कं. 1 की ओर से माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. का न्यायदृष्टांत अशोक वि. धर्मावती 2012 (4) एम.पी.एल.जे. 560 भी प्रस्तुत कर सदर वाद में इस न्यायालय द्वारा निर्मित वाद प्रश्न कं. 4 व 6 का निराकरण प्रारंभिक वाद विषय के रूप में करने का निवेदन किया है। उक्त न्यायदृष्टांत के पैरा 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा यदि किसी वाद प्रश्न को प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में निराकृत करने से प्रकरण या उसका कोई भाग समाप्त होता है तो ऐसे वाद प्रश्नों को विचारण न्यायालय को प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में विचारण न्यायालय को निराकृत किया जाना चाहिए। उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में सदर वाद का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वाद में विरचित वाद प्रश्न कं. 4 व 6 मात्र विधि के प्रश्न न होकर विधि तथा तथ्यों के मिश्रित वाद प्रश्न है। जिनका निराकरण उभयपक्ष के साक्ष्य लेकर ही किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत शांति शुक्ला वि. शांतिबाई 2005 (2) एम.पी.ल.जे. 114 अवलोकनीय है। जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि जहां परीसीमा का प्रश्न तथ्यों के प्रमाण पर निर्भर हो उसे प्रारंभिक वादप्रश्न के रूप में निराकृत नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में प्रतिवादी कं. 1 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत में भी सदर वाद में लागू नहीं होने से प्रतिवादी कं. 1 के लिए उपयोगी नहीं है।

7. प्रतिवादी कं. 1 की ओर से न्यायदृष्टांत रामनाथी (मिष्ट) वि. मिष्ट. नाती धाकड़, एम.पी.व्हीकली नोट 1986-II, 236 तथा श्रीराम

जानकी मंदिर वि. मूर्तिश्री रामजानकी लक्ष्मण, एम.पी.व्हीकली नोट

1986-II, 142 प्रस्तुत किया गया है जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां वाद की ग्राह्यता को चुनौती दी गई हो वह बिंदु प्रारंभिक चर्चबिंदु की तरह विनिश्चित किया जाना चाहिए। उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा वादप्रश्न क्रं. 6 जो कि सदर वाद की आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के प्रावधान के आलोक में प्रचलनशीलता संबंधी है, को प्रारंभिक वाद विषय के रूप में निराकृत करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रतिवादी क्रं. 1 की ओर से प्रस्तुत दोनों न्यायदृष्टांतों में विचारण न्यायलय में प्रचलित वाद किसी अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के कारण प्रचलन नहीं होने के संबंध में है। जबकि सदर प्रस्तुत वाद में वाद प्रश्न क्रं. 6 में उक्त सदर वाद की प्रचलनशीलता वादग्रस्त संपत्ति जैसा कि प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा बताया गया है, से संबंधित पूर्व वाद के निराकरण के आलोक में देखी जानी है। अर्थात् उक्त वाद प्रश्न मात्र विधि का प्रश्न नहीं है। बल्कि उक्त वाद प्रश्न के निराकरण के लिए उभयपक्ष की साक्ष्य अभिलेख पर लिया जाना दर्शित है। अतः उक्त विवेचना के आलोक में तथा उक्त न्यायदृष्टांतों के तथ्य सदर वाद से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत सदर वाद में लागू नहीं होते हैं।

8. जहां तक आई.ए.नंबर 4 प्रस्तुत कर प्रतिवादी क्रं. 2 द्वारा चाही गई सहायता का प्रश्न है जो कि सदर वाद में विरचित वाद प्रश्न क्रमांक 5 जो कि रेसजुडिकेटा के सिद्धान्त के कारण वाद की प्रचलितशीलता के संबंध में है, का निराकरण प्रारंभिक वाद-विषय के रूप में इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त सिद्धान्त संबंधी वाद-प्रश्न विधि का विशुद्ध प्रश्न न होकर विधि तथा तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है जिसे कि उभयपक्ष के साक्ष्य के आधार पर ही निराकृत किया जा सकता है।

9. जहां कोई प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न हो उसे प्रारंभिक वाद पद के रूप में तय नहीं किया जा सकता सामान्यतः सभी वाद पदों

का विचारण एक साथ किया जाना चाहिए और विशेष रूप से जहां विधि के बाद प्रश्न का निर्णय तथ्य के वाद प्रश्न पर आधारित हो वहां ऐसे विधि के वाद प्रश्न का निराकरण भी प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में भी नहीं किया जाना चाहिए इस संबंध में न्यायदृष्टांत मेजर एस.एस.खन्ना विरुद्ध ब्रिगेडियर एफ.जे. डिल्लन, ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 497 अवलोकनीय हैं। इसके साथ ही न्यायदृष्टांत रमेश बी. देसाई विरुद्ध विपिन वाडी लाल मेहता, ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 3672 भी इस बारे में अवलोकनीय हैं।

10. उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 14 नियम 2, धारा 151 सी.पी.सी., (आई.ए. नंबर. 3) तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 14 नियम 2, सी.पी.सी., (आई.ए.नंबर. 4) स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किए जाते हैं।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,

हस्ताक्षरित कर, घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(मनोज कुमार गोयल)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बड़वानी जिला बड़वानी

(मनोज कुमार गोयल)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बड़वानी जिला बड़वानी